

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

महेश भवन, गाँधी मैदान, पटना।

दिनांक 09.08.2023 को बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की 403वीं साधारण बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :

1.	श्री संदीप पौण्डरीक	अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग –सह– अध्यक्ष, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	अध्यक्ष
2.	श्री दिलीप कुमार	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड	सदस्य सचिव
3.	श्री अनिल कुमार	आंतरिक वित्तीय सलाहकार	सदस्य
4.	श्री विवेक रंजन मैत्रेय	निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम	सदस्य


अनुपस्थित :


1.	श्री पंकज दीक्षित	उद्योग निदेशक	सदस्य
----	-------------------	---------------	-------

क्र.	बैठक में रखे गये प्रस्ताव	बोर्ड का निर्णय																				
1.	बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के निविदा सं०-335 दिनांक-14.06.2023 द्वारा 900 नग 8 तकुआ न्यू मॉडल आधुनिक चरखा (NMC) का क्रय हेतु प्रति चरखा रु० 16,400/- (15 हजार रुपये का प्रति चरखा Fixed Price और 1400 रुपये प्रति चरखा Transportation & Installation Charges) कुल खर्च - 147.60 लाख रुपये के प्रस्ताव पर अनुमोदन।	अनुमोदित।																				
2.	बिहार राज्य खादी बोर्ड का वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक का वार्षिक लेखा-जोखा का अनुमोदन।	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और आंतरिक वित्तीय सलाहकार जाँच कर अनुमोदित करें।																				
3.	खादी मॉल के रिवाँल्विंग फंड के संचालन की प्रक्रिया का अनुमोदन। ग्रामोद्योग संस्था	संशोधन के साथ अनुमोदित। ग्रामोद्योग संस्था																				
	<table border="1"> <tr> <td>आपूर्ति किये गये उत्पादों का अधिकतम खुदरा मूल्य</td> <td>30 प्रतिशत के मार्जिन के बाद मूल्य</td> <td>भुगतान की जाने वाली अधिकतम राशि</td> </tr> <tr> <td>20,000 रुपये तक</td> <td>14,000 रुपये तक</td> <td>मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 100 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>50,000 रुपये तक</td> <td>35,000 रुपये तक</td> <td>मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 70 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>1,00,000 रुपये तक</td> <td>70,000 रुपये तक</td> <td>मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 50 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>1,00,000 रुपये से अधिक</td> <td>-</td> <td>मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 30 प्रतिशत</td> </tr> </table>	आपूर्ति किये गये उत्पादों का अधिकतम खुदरा मूल्य	30 प्रतिशत के मार्जिन के बाद मूल्य	भुगतान की जाने वाली अधिकतम राशि	20,000 रुपये तक	14,000 रुपये तक	मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 100 प्रतिशत	50,000 रुपये तक	35,000 रुपये तक	मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 70 प्रतिशत	1,00,000 रुपये तक	70,000 रुपये तक	मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 50 प्रतिशत	1,00,000 रुपये से अधिक	-	मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 30 प्रतिशत	<table border="1"> <tr> <td>भुगतान की जाने वाली अधिकतम राशि (अनुमोदित प्रतिशत)</td> </tr> <tr> <td>मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 70 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 50 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 40 प्रतिशत</td> </tr> <tr> <td>मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 30 प्रतिशत</td> </tr> </table>	भुगतान की जाने वाली अधिकतम राशि (अनुमोदित प्रतिशत)	मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 70 प्रतिशत	मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 50 प्रतिशत	मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 40 प्रतिशत	मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 30 प्रतिशत
आपूर्ति किये गये उत्पादों का अधिकतम खुदरा मूल्य	30 प्रतिशत के मार्जिन के बाद मूल्य	भुगतान की जाने वाली अधिकतम राशि																				
20,000 रुपये तक	14,000 रुपये तक	मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 100 प्रतिशत																				
50,000 रुपये तक	35,000 रुपये तक	मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 70 प्रतिशत																				
1,00,000 रुपये तक	70,000 रुपये तक	मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 50 प्रतिशत																				
1,00,000 रुपये से अधिक	-	मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 30 प्रतिशत																				
भुगतान की जाने वाली अधिकतम राशि (अनुमोदित प्रतिशत)																						
मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 70 प्रतिशत																						
मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 50 प्रतिशत																						
मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 40 प्रतिशत																						
मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 30 प्रतिशत																						


09/08/23

खादी संस्था/टेक्सटाइल्स यूनिट			खादी संस्था/टेक्सटाइल्स यूनिट
आपूर्ति किये गये उत्पादों का अधिकतम खुदरा मूल्य	50 प्रतिशत के मार्जिन के बाद मूल्य	भुगतान की जाने वाली अधिकतम राशि	भुगतान की जाने वाली अधिकतम राशि (अनुमोदित प्रतिशत)
2,00,000 रुपये तक	1,00,000 रुपये तक	मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 70 प्रतिशत	मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 50 प्रतिशत
5,00,000 रुपये तक	2,50,000 रुपये तक	मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 50 प्रतिशत	मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 40 प्रतिशत
5,00,001 रु. से अधिक	—	मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 30 प्रतिशत	मार्जिन कटौती के बाद शेष राशि का 30 प्रतिशत
4. गया और भभुआ में खादी मेला का आयोजन।			सितम्बर माह में बारिश की संभावना है। अक्टूबर माह में आयोजित किया जाए।


 10/08/23
 मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी


 10/08/23
 अपर मुख्य सचिव-सह-अध्यक्ष